

इसे वेबसाइट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 612]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 15 नवम्बर 2018 —कार्तिक 24, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2018

क्र. एफ-ए-3-63-2017-1-पांच(96).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में  
इसके पश्चात् उक्त, अधिनियम कहा गया है) की धारा 51 के साथ पठित मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (क्रमांक 19  
सन् 2017) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना  
क्रमांक एफ ए. 3-63-2017-1-पांच (82), दिनांक 29 सितम्बर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती  
है, अर्थात् :—

अधिसूचना के पैरा में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के संबंध में इस अधिसूचना की कोई  
बात उपाबंध क में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों और उनके कार्यालयों से भिन्न रक्षा मंत्रालय के अधीन प्राधिकारियों को  
1 अक्टूबर, 2018 से लागू नहीं होगी।”

2. यह अधिसूचना दिनांक 23 अक्टूबर 2018 को प्रकाशित हुई मान्य की जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरूप परमार, उपसचिव,

**उपार्थ “क”**  
**रक्षा लेखाओं के प्रधान नियंत्रकों/नियंत्रकों को आवंटित कूट संख्या**

क्रम संख्या (1)	नियंत्रक का पदनाम/कार्यालय (2)	कूट संख्या (3)
1	रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना	00
2	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक(पेंशन) इलाहाबाद	01
3	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (आफिसस) पूणे	02
4	रक्षा लेखा नियंत्रक (सेना) मेरठ	03
5	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (दक्षिणी कमान) पुणे	04
6	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, बैंगलुरु	05
7	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पश्चिमी कमान) चंडीगढ़	06
8	प्रधान लेखा नियंत्रक (फेकट्री) कोलकता	07
9	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (वायु सेना) देहरादुन	08
10	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (नेवी) मुम्बई	09
11	रक्षा लेखा नियंत्रक (निधि) मेरठ	10
12	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (उत्तरी कमान) जम्मू	12
13	जोनल कार्यालय (पेंशन संवितरण) चेन्नई	13
14	लेखा कार्यालय, रक्षा लेखा विभाग, रक्षा मंत्रालय (सिविल) नई दिल्ली	14
15	रक्षा लेखा नियंत्रक (केंचीन) मुम्बई	15
16	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, नई दिल्ली	16
17	रक्षा लेखा नियंत्रक, चेन्नई	18
18	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (अनुसंधान एवं विकास) नई दिल्ली	19
19	रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन वितरण) मेरठ	20
20	रक्षा लेखा नियंत्रक, गुवाहाटी	21
21	रक्षा लेखा, प्रधान नियंत्रक (मध्य कमान) लखनऊ	22
22	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (सीमा सड़क) दिल्ली छावनी	23
23	रक्षा लेखा नियंत्रक (अनुसंधान एवं विकास) बैंगलुरु	24
24	रक्षा लेखा नियंत्रक सिकंदराबाद	25
25	रक्षा लेखा नियंत्रक, जबलपुर	26
26	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (वायु सेना) नई दिल्ली	27
27.	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (अनुसंधान एवं विकास) हेदराबाद	28
28	रक्षा लेखा महानियंत्रक, नई दिल्ली	29
29	रक्षा लेखा नियंत्रक (IDS), नई दिल्ली	30
30	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (दक्षिणी पश्चिमी कमान), जयपुर	31

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2018

क्र. एफ-ए-3-63-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-63-2017-1-पांच (96), दिनांक 15 नवम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरुण परमार, उपसचिव।

Bhopal, the 15<sup>th</sup> November 2018

No. F. A.3-63-2017-1-V (96).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) read with section 51 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of this department No. F. A-3-63-2017-1-V(82) dated the 29th September, 2018, namely :—

In the paragraph of the notification, the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided that with respect to persons specified under clause (a) of sub-section (1) of Section 51 of the Act, nothing in this notification shall apply to the authorities under the Ministry of Defence, other than the authorities specified in the Annexure-A and their offices, with effect from the 1st day of October, 2018”.

2. This notification shall deemed to have published on 23rd October 2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ARUN PARMAR, Dy. Secy.

#### ANNEXURE 'A'

#### CODE NUMBERS ALLOTTED TO THE PRINCIPAL CONTROLLERS/CONTROLLERS OF DEFENCE ACCOUNTS

Sl. No. (1)	Designation of Controller/Office (2)	Code No. (3)
1.	Controller of Defence Accounts, Patna	00
2.	Pr. Controller of Defence Accounts (Pensions), Allahabad	01
3.	Pr. Controller of Defence Accounts (Officers), Pune	02
4.	Controller of Defence Accounts, (Army), Meerut	03
5.	Pr. Controller of Defence Accounts, Southern Command, Pune	04
6.	Pr. Controller of Defence Accounts, Bangalore	05
7.	Pr. Controller of Defence Accounts, Western Command, Chandigarh	06
8.	Pr. Controller of Accounts (Factories), Kolkata	07
9.	Pr. Controller of Defence Accounts, (Air Force), Dehradun	08
10.	Pr. Controller of Defence Accounts, (Navy), Mumbai	09
11.	Controller of Defence Accounts (Funds), Meerut	10
12.	Pr. Controller of Defence Accounts, Northern Command, Jammu	12
13.	Zonal Office (Pension Disbursement), Chennai	13
14.	AO DAD Min. of Defence (Civil), New Delhi	14
15.	Controller of Defence Accounts, Canteen Stores Dept., Mumbai	15
16.	Pr. Controller of Defence Accounts, New Delhi	16
17.	Controller of Defence Accounts, Chennai	18
18.	Pr. Controller of Defence Accounts (R&D) New Delhi	19
19.	Controller of Defence Accounts, (Pension Disbursement), Meerut	20
20.	Controller of Defence Accounts, Gauhati	21
21.	Pr. Controller of Defence Accounts, (CC) Lucknow	22
22.	Pr. Controller of Defence Accounts, (Border Roads), New Delhi	23
23.	Controller of Defence Accounts (R & D), Bangalore	24
24.	Controller of Defence Accounts, Secunderabad	25
25.	Controller of Defence Accounts, Jabalpur	26
26.	Pr. Controller of Defence Accounts (Air Force), New Delhi	27
27.	Pr. Controller of Defence Accounts, (R & D), Hyderabad	28
28.	Controller of Defence Accounts, New Delhi	29
29.	Controller of Defence Accounts, (IDS), New Delhi	30
30.	Pr. Controller of Defence Accounts (SWC), Jaipur	31